जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल

षष्ठम बोर्ड बैठक का कार्यवृत्त

तिथि	:	28.02.2019 (दिन बृहस्पतिवार)
समय	:	पूर्वान्ह 11:00 बजे
स्थान	:	सर्किट हाउस काठगोदाम, जिला–नैनीताल
फोन	:	05942– 232800
फैक्स	:	**05942– 236042**

e-mail I.D- secretaryldanainital@rediffmail.com

आज दिनांक 28 फरवरी, 2019 दिन गुरूवार को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की षष्ठम बोर्ड बैठक सर्किट हाउस, काठगोदाम जिला–नैनीताल में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री राजीव रौतेला, आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।	–	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद कुमार सुमन, जिलाधिकारी, नैनीताल।	–	उपाध्यक्ष
3.	श्री एस0के0 पन्त, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तराखण्ड, देहरादून।	–	सदस्य (पदेन)
4.	श्रीमती अनिता आर्य, मुख्य कोषाधिकारी, नैनीताल। (सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के प्रतिनिधि)	–	सदस्य (पदेन)
5.	श्री एस0के0 पन्त, अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल निगम, नैनीताल (प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संशाधन एवं निर्माण निगम, देहरादून के प्रतिनिधि)	–	सदस्य (पदेन)
6.	श्री चन्द्र सिंह मर्तोलिया, नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।	–	सदस्य (पदेन)
7.	श्री धीरेन्द्र रावत, पार्षद, नगर निगम, हल्द्वानी।	–	सदस्य (निर्वाचित)
8.	श्री दीपक बर्गली, सभासद, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।	–	सदस्य (निर्वाचित)
9.	गजाला कमाल, सभासद, नगर पालिका परिषद्, नैनीताल।	–	सदस्य (निर्वाचित)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थिति–

1. श्री हरबीर सिंह, सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
2. श्री पंकज उपाध्याय, सिटी मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी/ संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी।
3. श्री एस0एम0श्रीवास्तव, सहयुक्त नियोजक, कुमायूं सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
4. श्री बी0एस0 नेगी, प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर/नैनीताल।
5. श्री विजय कुमार माथुर, प्रभारी अधिशासी अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
6. श्री चन्द्र मोहन साह, प्रभारी अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
7. श्री अतुल कुमार गुप्ता, प्रभारी सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
8. श्री बलबीर सिंह, अवर अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों का अभिवादन करते हुये प्राधिकरण की षष्ठम बोर्ड बैठक प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्पश्चात् प्रस्तावित बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं का क्रमशः प्रस्तुतीकरण प्रारम्भ किया गया। एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

मद संख्या– 06.01

पंचम बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 की कार्यवाही कार्यालय के पत्र संख्या–1508/नैजिविप्रा/एक–2018/पंचम बो0बै0

/2018–19 दिनांक 20 नवम्बर, 2018 द्वारा बोर्ड के सभी सम्मानित सदस्यों को प्रेषित की गयी। प्रेषित कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नही हुयी है। अतः सर्वसम्मति से विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी।

मद संख्या– 06.02

पंचम बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों पर अनुपालन आख्या।

अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की पूर्व बैठकों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में रोष व्यक्त किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि भविष्य में निर्देशों का अनुपालन समयसीमा अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण की डायनेमिक वेबसाईट एक सप्ताह में तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि ऑन लाईन मैप स्वीकृति की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

प्राधिकरण में कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तथा अभियंत्रण खण्ड में विभिन्न अभियंत्रण विभागों से प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में अवर अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्त/सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव एक सप्ताह में तैयार करते हुये शासन को स्वीकृति हेतु संदर्भित किया जाय।

प्राधिकरण में लम्बित आवेदित भवन मानचित्रों का त्वरित निस्तारण किया जाय।

जो क्षेत्र जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के गठन के उपरान्त प्राधिकरण क्षेत्र में सम्मिलित हुये हैं, उन क्षेत्रों में 1000.00 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड क्षेत्रफल में हुये बिना अनुमति के किये गये निर्माणों को चिन्हित करते हुये गठित समिति को निस्तारण हेतु प्रेषित की जाय।

पूर्व में लिये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत निर्मित क्षेत्र का निर्धारण यथाशीघ्र कराते हुये अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय।

उपाध्यक्ष/सचिव को निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण की प्रत्येक माह में समीक्षा बैठक सुनिश्चित की जाय तथा कृत कार्यवाही की सूचना अध्यक्ष को प्रेषित की जाय।

मद संख्या–06.03

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का वित्तीय वर्ष 2018–19 का वास्तविक आय–व्ययक दिनांक 31.03.2019 तक एवं वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तावित बजट के आय–व्यय का विवरण।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल का वर्ष 2018–19 हेतु प्रस्तावित बजट के अन्तर्गत ₹2000.00 लाख आय एवं ₹1100.00 लाख व्यय का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष दिनांक 25.02.2019 तक कुल आय ₹ 1780.05 लाख तथा व्यय ₹ 389.50 लाख का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु कुल आय **₹2500.00 लाख** एवं

कुल व्यय ₹1900.00 लाख का प्राविधान करते हुये वास्तविक एवं प्रस्तावित आय–व्ययक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– प्रस्तुत वार्षिक बजट का अवलोकन किया गया। सर्वसम्मति से वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु प्रस्तुत बजट का अनुमोदन किया गया।

मद संख्या–06.04

एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ ओ0पी0डी0/ पैथोलोजी लैब /डाईग्लोस्टिक सेन्टर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–41/V–2–2017–105(आ0) / 2013 टी0सी0 दिनांक 15 जनवरी, 2019 के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–41/V– 2–2017– 105(आ0)/2013टी0सी0 दिनांक 15 जनवरी, 2019 द्वारा एकल आवास, व्यवसायिक भवनों, आवासीय भू–उपयोग में व्यवसायिक दुकान तथा आवासीय क्षेत्रों में नर्सिंग होम/क्लीनिक/ ओ0पी0डी0/ पैथोलोजी लैब /डाईग्लोस्टिक सेन्टर/चाईल्ड केयर/नर्सरी स्कूल क्रैच एवं प्ले ग्रुप को एक बार समाधान योजना के तहत शमन/विनियमितिकरण किये जाने हेतु एक बार समाधान (One Time Settlement) योजना लागू की गयी है।

उक्त शासनादेश के बिन्दु–2 (5) अन्य प्राविधान में वर्णित है किः–

(1) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आवासीय मामले में दिनांक 15.01.2019 से दिनांक 15.03.2019 तक कम्पाण्डिंग हेतु मानचित्र सम्बन्धित प्राधिकरण में जमा करना आवश्यक होगा। मानचित्र के साथ–साथ स्वमूलयांकन कम्पाउण्डिंग धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करना आवश्यक होगा। किन्तु आवेदक द्वारा स्वमूल्यांकन की 50 प्रतिशत धनराशि, वास्तविक मूल्यांकन के 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर उक्त विचलन वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा।

(2) उपरोक्त योजना के अन्तर्गत व्यवसायिक/सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक आदि में दिनांक 15.01.2019 से दिनांक 15.03.2019 तक कम्पाण्डिंग हेतु मानचित्र सम्बन्धित प्राधिकरण में जमा करना आवश्यक होगा। मानचित्र के साथ–साथ स्वमूलयांकन कम्पाउण्डिंग धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि जमा करना आवश्यक होगा। किन्तु आवेदक द्वारा स्वमूल्यांकन की 50 प्रतिशत धनराशि, वास्तविक मूल्यांकन के 10 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर उक्त विचलन वाली धनराशि पर 10 प्रतिशत साधारण ब्याज भी देय होगा।

(3) उक्त योजना हेतु कम्पाउण्ड धनराशि की गणना दिनांक 01 अप्रैल, 2018 को प्रचलित सर्किल दरों पर अनुमन्य होगी।

(4) उक्त एकल समाधान योजना (One Time Settlement) से प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत प्राधिकरण क्षेत्र में पार्किंग के निर्माण/हरित क्षेत्र विकास/स्ट्रीट लाईट के निर्माण पर व्यय किया जायेगा। यदि पार्किंग/हरित क्षेत्र विकास के अतिरिक्त अन्य मद में व्यय किया जाना अति आवश्यक हो तो उक्त स्थिति में शासन से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

(5) उक्त एकल समाधान योजना (One Time Settlement) से प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं विकास प्राधिकरण को हस्तगत किया जायेगा। उडा द्वारा उक्त धनराशि पर्वतीय जनपद के नवसृजित प्राधिकरणों के कार्मिकों के वेतन आदि के भुगतान हेतु आवश्यकतानुसार एवं यथासमय आवंटित करेगा।

(6) उक्त एकल आवासीय समाधान योजना (One Time Settlement) दिनांक 31.03.2019 तक ही अनुमन्य होगी। दिनांक 01.04.2019 के पश्चात् उक्त श्रेणी के निर्माणों के विरुद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही सम्बन्धित प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।

(7) उपरोक्त उपविधि के प्रावधान/मानकों का विकास प्राधिकरण बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुये अंगीकार किया जायेगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत यदि इनमें किसी परिष्कार की आवश्यकता हो, तो बोर्ड की संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन के विचारार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उपरोक्त प्राविधानों से आच्छादित न होने वाले प्रकरणों के संबंध में सम्बन्धित प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा संदर्भित औचित्यपरक प्रस्ताव प्राप्त होने पर शासन द्वारा सम्यक निर्णय लिया जा सकेगा।

शासन द्वारा निर्गत एक बार समाधान योजना (One Time Settlement) में वर्णित उपविधि के प्राविधान एवं मानक मैदानी क्षेत्र के भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हेतु व्यवहारिक प्रतीत नहीं होते हैं। भवन उपविधि में पर्वतीय क्षेत्रों हेतु वर्णित मानकों के अनुसार संशोधित प्राविधान तैयार किया गया है जिसका प्राधिकरण बोर्ड से अनुमोदन उपरान्त स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित किया जाना है। शासन से स्वीकृति के उपरान्त उक्त एक बार समाधान योजना को लागू किया जाना उचित होगा।

अतः उक्तानुसार एकल समाधान योजना (One Time Settlement) को अंगीकृत किये जाने के साथ–साथ प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि एकल समाधान योजना (One Time Settlement) हेतु निर्गत शासनादेश को अंगीकृत करते हुये तद्नुसार कार्यवाही की जाय। प्रस्तुत संशोधनों के प्रस्ताव को सह युक्त नियोजक, हल्द्वानी से परीक्षण कराते हुये संशोधित प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु शासन को संदर्भित किया जाय।

मद संख्या–06.05

प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–40/V–2–2019–83 (आ0)/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 के अंगीकरण के सम्बन्ध में।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–41/V– 2–2017– 105(आ0)/2013टी0सी0 दिनांक 15 जनवरी, 2019 द्वारा उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग–01 के शासनादेश संख्या–2281/9–आ–1–96–डी0ए0/01 लखनऊ, दिनांक 22.06.1998 द्वारा मूसरी देहरादून विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 1998 प्रख्यापित करते हुये शमन शुल्कों के दरों का निर्धारण किया गया है। उक्त उपविधि प्राविधान एवं शमन की दरों को राज्य में अन्य प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड की बैठकों के क्रम में अंगीकरण कर लिया गया था। सम्प्रतिउक्त शासनादेश में निर्धारित शमन शुलक की दरों पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार उक्त उपविधि में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों में दिनांक 01.04.2019 से संशोधन किये गये हैं।

2–उपरोक्त संशोधनों के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–2281/9– आ–1–96/6डी0ए0/01, दिनांक 22.06.2018 की शेष शर्तें एवं प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3– उपरोक्त पुनर्रीक्षित दरें 01 अप्रैल, 2019 से लागू होंगी।

4– समस्त प्राधिकरण बोर्ड बैठक में उपरोक्त पुनर्रीक्षित दरें अंगीकृत करते हुये लागू करेंगे।

अतः उक्तानुसार प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–40/V–2–2019–83 (आ0)/2018 दिनांक 10 जनवरी, 2019 को अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुये तदनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या–06.06

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में निहित मानकों में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

सचिव, उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–39/V–2–2019–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के द्वारा उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम–2011 (संशोधन–2015) में राज्य की भौगोलिक पारिस्थितियों यथा भवन हेतु भूमि की सीमित उपलब्धता, भूखण्डों का न्यूनतम क्षेत्रफल, पहुँच मार्ग की चौड़ाई आदि कम होने को दृष्टिगत रखते हुये न्यूनतम मानकों को यथाआवश्यक कम करते हुये आवासीय, चिकित्सीय, पर्यटन,

व्यावसायिक आदि गतिविधियों का विस्तार किये जाने हेतु भवन उपविधि के मानकों को संलग्न परिशिष्ट–1 एवं तालिका–01, 02, 03 के अनुसार संशोधित करते हुये अनुमति प्रदान की गयी है। शासनादेश के बिन्दु–3 में वर्णित है कि भवन उपविधि के संलग्न संशोधनों के अतिरिक्त शेष अन्य प्राविधान शासनादेश संख्या–888/v–2013–55(आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 12.06.2015 एवं तद्विषयक संशोधित शासनादेशों के प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे। शासनादेश के बिन्दु–4 में वर्णित है कि उक्त संशोधित प्राविधान, संबंधित प्राधिकरणों के बोर्ड से अंगीकरण के उपरान्त ही लागू होंगे।

अतः उक्तानुसार उत्तराखण्ड शासन, आवास अनुभाग–2, देहरादून के शासनादेश संख्या–39/V–2–2019–55 (आ0)/2006–टी0सी0 दिनांक 05 फरवरी, 2019 को अंगीकरण किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– सर्वसम्मति से प्रस्तुत प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुये शासनादेश में प्राविधानित मानकों के अनुरूप निर्धारण हेतु सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल एवं सहयुक्त नियोजक, हल्द्वानी को नामित किये जाने का निर्णय लिया गया। मानकों के अनुरूप निर्धारित करते हुये प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या–06.07

श्रीमती मीता साह पत्नी श्री राजीव लोचन साह के एकल आवासीय भवन मानचित्र को वाद संख्या–161/2018 के अन्तर्गत शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमती मीता साह पत्नी श्री राजीव लोचन साह द्वारा नगर पालिका परिषद्, नैनीताल के बलिया रिवाईन भवाली रोड, तल्लीताल, नैनीताल में स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 184.26 वर्गमीटर में भवन निर्माण हेतु एकल आवासीय भवन मानचित्र संख्या–51/2018 प्रस्तुत किया गया।

दाखिल–खारिज दस्तावेजानुसार में वर्णितानुसार आवेदिका द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड दिनांक 26.06.2016 को क्रय किया गया है जो नैनीताल नगर पालिका क्षेत्र हेतु संशोधित भवन उपविधि के अनुसार भूखण्ड दिनांक 26.06.2016 को क्रय होने से भू–उपविभाजन के तहत आच्छादित है जिसमें निर्माण अनुमन्य नहीं है।

आवेदिका की ओर से श्री राजीव लोचन साह द्वारा अपने पत्र दिनांक 19.07.2018 में उल्लेख किया गया है कि हम लोग नैनीताल के शुरूआती वर्षो से बसने वाले हैं। प्रश्नगत सम्पत्ति 1415.00 वर्गमीटर का एक आवासीय भूखण्ड श्रीमती सावित्री साह का कालान्तर में उनके चार पुत्रों श्री महेश लाल साह, श्री उमेश लाल साह, श्री राजीव लोचन साह एवं श्री प्रमोद साह के नाम हस्तान्तरित तथा चारों भाईयों के नाम फ्री–होल्ड हुआ है। हम पुराने निवासी अपने लिये एक छोटा सा आसियाना नहीं बना पा रहे हैं।

प्रश्नगत भूखण्ड के भू–उपविभाजन के तहत होने के तहत मानचित्र स्वीकृति पर निर्णय हेतु प्रकरण प्राधिकरण की पंचम बोर्ड बैठक दिनांक 11.10.2018 के मद संख्या–05.06 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि "आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र पर प्राधिकरण कार्यालय द्वारा सूचित आपत्तियों के तहत आवेदिका का नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत कोई भवन है अथवा नहीं, का उत्तर प्राप्त होने के उपरान्त प्राधिकरण विनियमों के सापेक्ष समस्त दस्तावेजों पर प्राधिकरण अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त कर ली जाय। प्राधिकरण अधिवक्ता से विधिक राय प्राप्त होने के उपरान्त पुनः प्रकरण को प्रस्तुत किया जाय।"

बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के क्रम में प्राधिकरण अधिवक्ता को मानचित्र पत्रावली पर विधिक राय हेतु प्रेषित की गयी थी। उनके द्वारा दिनांक 19.12.2018 को विधिक राय प्रस्तुत की गयी जिसमें उनके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को पारिवारिक उपविभाजन के अन्तर्गत आच्छादित होने का उल्लेख करते हुये प्रश्नगत प्रकरण पर उपविभाजन का प्रतिबन्ध लागू न होना उल्लिखित किया गया है।

आवेदिका द्वारा स्थल पर प्राधिकरण की स्वीकृति से पूर्व ही अनधिकृत निर्माण किये जाने पर वाद संख्या–161/2018 दिनांक 26.10.2018 को संस्थित किया गया तथा स्थल पर अनधिकृत निर्माण कार्य लगातार जारी रखने के कारण अनधिकृत निर्माण को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.12.2018 को सीलबन्द किया गया है। स्थल पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अवैध निर्माण किये जाने पर मानचित्र आवेदन निरस्त किया जा चुका है।

आवेदिका/विपक्षी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण को नियमानुसार शमन हेतु आवेदन किया गया है तथा इस आशय का शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि उनका नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत अन्य कोई भवन नहीं है।

अतः प्राधिकरण अधिवक्ता की विधिक राय पर सहमति उपरान्त प्रश्नगत निर्माण को शमन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में उपविभाजन के सम्बन्ध में प्राधिकरण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत विधिक राय के क्रम में पुनः परीक्षण हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गयाः–

1. *सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।*
2. *नगर आयुक्त, नगर निगम, हल्द्वानी।*
3. *सहयुक्त, नियोजक, हल्द्वानी।*
4. *अधीक्षण अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधम सिंह नगर/नैनीताल।*
5. *अधिवक्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।*

समिति द्वारा भूखण्ड के उपविभाजन के सम्बन्ध में परीक्षण कर विस्तृत आख्या प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

मद संख्या–06.08

नैनीताल पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुराने जीर्ण/क्षीर्ण गिराऊ स्थिति के भवन के पुनर्निर्माण मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

नैनीताल नगर पालिका परिषद् क्षेत्रान्तर्गत कई भवन जीर्ण–क्षीर्ण होने से गिराऊ स्थिति में है जो मरम्मत योग्य भी नहीं है। ऐसे भवनों का पुनर्निर्माण ही किया जा सकता है। पालिका द्वारा कई भवनों को गिराऊ होने का उल्लेख भवन स्वामियों को निर्गत पत्र में किया गया है। नैनीताल पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुनर्निर्माण मानचित्र प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत पुनर्निर्माण मानचित्र जो जी0एस0आई0 के द्वारा निर्धारित जोन–3 एवं 4 के अन्तर्गत होने एवं भू–वैज्ञानिक व सहयुक्त नियोजक के अनापत्ति–पत्र भी पत्रावलियों में प्रस्तुत किये गये हैं। मानचित्र स्वीकृति प्रदत्त न किये जाने से आवेदकों द्वारा बार–बार मानचित्र स्वीकृति का अनुरोध किये जाने के दृष्टित प्रकरण प्राधिकरण की चतुर्थ बोर्ड बैठक दिनांक 07.08.2018 के मद संख्या–4.15 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि "सर्वप्रथम गिराऊ भवनों के भौतिक सर्वेक्षण हेतु एक समिति सचिव प्राधिकरण, अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0 नैनीताल, सहयुक्त नियोजक हल्द्वानी एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, नैनीताल सदस्य होंगे, का गठन किया गया। यह समिति पूर्ण विवरण के सा अपनी आख्या उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। आख्या के अनुसार आगामी बोर्ड बैठक में पुनर्निर्माण मानचित्र स्वीकृतियों पर किया जायेगा।"

उक्त के अनुपालन में समिति द्वारा दिनांक 03.12.2018 को पुनर्निर्माण हेतु आवेदित भवनों का सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण आख्या पृथक–पृथक आवेदित पत्रावलियों में संलग्न हैं।

अतः नैनीताल नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों के क्रम में समिति द्वारा सर्वेक्षण के दौरान पुनर्निर्माण हेतु उचित पाये गये भवनों के पुनर्निर्माण की स्वीकृति पर विचार किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– *प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित प्रकरणों में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत सम्पत्ति का कब्जा आवेदक का स्वयं का ही है तथा भवन का वर्तमान उपयोग एवं प्रस्तावित उपयोग यथावत् है। भविष्य में भवन का उपयोग परिवर्तित नहीं करेगा। पुनर्निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के क्रमांक–3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14 एवं 17 में उल्लिखित पुनर्निर्माणों को प्रथमदृष्टया उचित मानते हुये प्राधिकरण समस्त अभिलेखों एवं मानचित्र का निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण करते हुये समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराकर निस्तारण करे।*

प्रस्तुत सूची क्रमांक–1, 2, 9, 13, 15 एवं 16 में उल्लिखित पुनर्निर्माण के प्रकरणों पर प्राधिकरण स्तर से पुनः गहन परीक्षण करते हुये अन्य आवश्यक अभिलेख तथा औपचारिकतायें पूर्ण कराते हुये

प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मद संख्या–06.09

हल्द्वानी क्षेत्रान्तर्गत मा0 विधायक द्वारा संदर्भित कार्यों, पार्किंग समस्या के निदान एवं प्रस्तावित अन्य कार्यों को प्राधिकरण अवस्थापना निधि के अन्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक निम्नलिखित कार्यों के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं:–

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलन धनराशि (₹लाख में)	संदर्भ
1.	ऊंचापुल चौराहे पर जल निकासी हेतु नाली निर्माण एवं सिंचाई गूल का मरम्मत कार्य।	20.43	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा श्री बंशीधर भगत, मा0 विधायक, विधानसभा क्षेत्र, कालाढूंगी एवं उपजिलाधिकारी के मौखिक निर्देश तथा श्री कुंवर निपेन्द्र सिंह द्वारा समाधान पोर्टल संख्या–PG0543832018 दिनांक 04.09.2018 के क्रम में प्रस्तुत किया गया है।
2.	राज्य मार्ग संख्या–41 हल्द्वानी, कालाढूंगी मार्ग एवं नहर कवरिंग मोटर मार्ग के जंक्शन प्वाइंट मुखानी तिराहे चौड़ीकरण एवं सुधारीकरण का कार्य।	54.37	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी द्वारा जनहित याचिका संख्या–226/2018, पूरन चन्द्र जोशी बनाम् उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिये गये आदेशों के अनुपालन एवं शासन के पत्रांक–1204/III (3)/2018–63 (रिट)/2018 दिनांक 17.12.2018 के क्रम में प्रस्तुत किया गया है।।
3.	हल्द्वानी शहर में डॉ0 सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सामने पार्किंग का निर्माण कार्य।	76.93	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लो0नि0वि0, हल्द्वानी के द्वारा जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा हल्द्वानी शहर की यातायात व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
4.	तहसील हल्द्वानी में शौंचालय की मरम्मत, टैंक निर्माण, पानी की टंकी व पाईप लाईन डालने व रंगाई–पुताई	1.38	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन तहसीलदार, हल्द्वानी के द्वारा आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल

	आदि का कार्य।		द्वारा वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रस्तुत किया गया है।
5.	नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी कार्यालय के पीछे कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास के प्रथम तल में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी के कार्यालय कक्ष का निर्माण कार्य।	11.40	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नैनीताल के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय के पीछे कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास के प्रथम तल में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी हेतु भवन निर्माण के लिये संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
6.	उपनिदेशक, सूचना विभाग, हल्द्वानी के कार्यो के सम्पादन एवं जिला विकास स्तरीय विकास प्राधिकरण के कार्यों के सम्पादन हेतु दो कैमरे क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	5.00	उपनिदेशक, सूचना के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में 02 कैमरे क्रय किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
7.	जिला सूचना अधिकारी कार्यालय, नैनीताल के पूर्व में निर्मित भवन के मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।	2.84	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के द्वारा उपनिदेशक, सूचना द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
8.	कुसुमखेड़ा कमलुवागांजा–कालाढूंगी मुख्य मार्ग में तीन मूर्ति मंदिर के सामने से श्री गोविन्द सिंह नगरकोटी के घर के पास तक अवशेष (372 मी0 लम्बाई) सम्पर्क मार्ग निर्माण ग्राम–गोविन्दपुर गढ़वाल, विकासखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल के सम्बन्ध में।	12.25	प्रस्तावित कार्य का प्राक्कलन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, नैनीताल जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है।
	कुल	184.6	

उक्तानुसार प्रस्तावित विभिन्न कार्यों हेतु कुल धनराशि ₹184.60 लाख के प्राक्कलन के प्रस्तावों को प्राधिकरण अवस्थापना विकास निधि मद से कराये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

<u>*कार्यवाही*</u>*:– प्रस्तुत प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव को अवस्थापना विकास निधि समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।*

मद संख्या–06.10

आयुक्त/अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष के कैम्प कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के निर्मित आवासों के मरम्मत कार्य व नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी रंगाई–पुताई व साज–सज्जा कार्य तथा आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी एवं निरीक्षण भवन के सामने बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण के सम्बन्ध में।

आयुक्त/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल की अध्यक्षता में अवस्थापना समिति की बैठक दिनांक 29.10.2018 के बिन्दु संख्या–2 के अन्तर्गत प्राधिकरण निधि से उपरोक्त कार्य हेतु क्रमशः ₹ 20.00 लाख, ₹ 20.00 लाख एवं ₹5.00 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उपरोक्त कार्यों हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड–हल्द्वानी को धनराशि अवमुक्त की गयी। कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड–हल्द्वानी द्वारा अपने पत्रांक–188 दिनांक 26.02.2019 में उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त कार्यों के प्राक्कलन की लागत क्रमशः ₹21.51 लाख, ₹ 23.73 लाख एवं ₹5.88 लाख अर्थात कुल ₹51.12 लाख है। प्राक्कलनों के सापेक्ष ₹45.00 लाख ही उनके विभाग को अवमुक्त किया गया है। अवशेष धनराशि ₹6.12 लाख की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि कार्यों को अनुबन्धानुसार पूर्ण किया जा सके।

उक्त के अतिरिक्त अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी द्वारा आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी एवं निरीक्षण भवन के सामने बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण हेतु ₹2.98 लाख का प्राक्कलन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्यों के प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि के उपरान्त अवशेष ₹6.12 लाख को प्राधिकरण निधि के अन्तर्गत अवमुक्त किये जाने एवं आयुक्त कैम्प कार्यालय, हल्द्वानी एवं निरीक्षण भवन के सामने बाउण्ड्रीवाल व गेट निर्माण हेतु प्राक्कलन धनराशि ₹2.98 लाख का प्रस्ताव प्राधिकरण निधि के अन्तर्गत किये जाने की स्वीकृति हेतु प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाहीः– प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

अन्त में अध्यक्ष द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को धन्यवाद प्रदान करने के साथ बैठक विसर्जित की गयी।

उपाध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल

आयुक्त/अध्यक्ष,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नैनीताल